

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक ई-20/म0स्वा0कार्य0/सामा-682/2019/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती सुमनलता यादव, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानोता, खण्ड बस्सी, जयपुर-द्वितीय जिनकी जन्म तिथि 02.11.1979 एवं राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि 25.02.2008 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 07.09.2019 से 20.09.2019 तक (कुल 14 दिवस) उनके बेटे के एडमिशन (एमबीबीएस) हेतु वेस्ट कजाकिस्तान भारत ओसपनोव मेडिकल यूनिवर्सिटी अक्टोबे कजाकिस्तान में करवाने के लिए विदेश (कजाकिस्तान) हेतु स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिका विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवा कर प्रस्थान करेगी तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात् अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगी।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेगी।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्टेचिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

२०

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक ई-20/म0स्वा0कार्य0/सामा-682/2019/1328

दिनांक - 2/9/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्सी. (जयपुर-द्वितीय)
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. कार्मिका को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

११

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर